समाचार

गंदगी व अतिक्रमण पर एक हजार रूपये का अर्थदण्ड

(फलोद्यान में किया गया था अतिक्रमण, फैलाई जा रही थी गंदगी आयुक्त ने किया जुर्माना, दी चेतावनी)

कोरबा 10 फरवरी 2016 –निहारिका सुभाष चौक के समीप स्थित फलोद्यान के पास टेंट संचालक द्वारा बांस, बल्ली व टेंट सामग्री उद्यान परिसर में रखकर अतिक्रमण करने व गंदगी फैलाने को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने टेंट संचालक पर एक हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में वहां गंदगी व अतिक्रमण करने का कार्य कदापि न करें।

निगम के कोसाबाड़ी जोन के अंतर्गत निहारिका सुभाष चौक के समीप स्थित फलोद्यान के पास निगम द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया था, इन दुकानों में संतोष टेंट हाउस के नाम से संतोष राठौर नामक व्यक्ति द्वारा टेंट का कारोबार किया जाता है। उक्त टेंट संचालक द्वारा बांस, बल्ली एवं अन्य टेंट सामग्री का भण्डारण फलोद्यान परिसर में किया जा कर अतिक्रमण किया गया था तथा वहां भारी मात्रा में गंदगी फैलाई गई थी, आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने अपने निरीक्षण के दौरान इस बात को गंभीरता से लिया तथा टेंट संचालक पर एक हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर उसे जमा करने के निर्देश दिए। उन्होने टेंट संचालक को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में उक्त कार्य की पुनरावृत्ति कदापि न करें। इसके साथ ही आयुक्त श्री अग्रवाल ने टेंट संचालक श्री संतोष राठौर से कहा कि वह आगामी 10 दिनों तक अपने व्यय पर 10 लेबर उपलब्ध कराएं, जिनसे वहां की समुचित साफ–सफाई कराई जा सके।

संपादकव्यूरोचीफ.......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)